

जबलपुर मंडल के माह अप्रैल-2024 के प्रारंभ में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी विवरण :-

क.सं.	अनुकम्पा हेतु आश्रित का संक्षिप्त विवरण	अनुकम्पा नियुक्ति मामले की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट
01	श्री कृष्णमूर्ति रावत पुत्र स्व. मनोहर लाल कोल, प्रधान आरक्षक मृत्यु दिनांक 06.02.2008 जबलपुर मंडल	स्व. श्री मनोहर कोल, प्रधान आरक्षक, जबलपुर मंडल के पुत्र श्री कृष्णमूर्ति रावत के प्रकरण में उम्मीदवार की (जन्मतिथि-14.02.2003) के वालिग होने पर दिवंगत कर्मचारी की पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन/संबंधित दस्तावेज दिनांक 08.04.2022 प्रस्तुत किये जाने के उपरांत मण्डल स्तर की अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रकरण पत्रावली दिनांक 21.04.2022 को मुख्यालय में अनुमोदनार्थ प्राप्त हुई। मुख्यालय द्वारा अनुमोदन उपरांत मामले में मण्डल स्तर की अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण पत्रावली दिनांक 29.04.2022 के तहत मण्डल को वापस भेज दी गयी है। मण्डल स्तर पर उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.) की कार्रवाई दिनांक 17.08.2022 को पूर्ण की गयी जिसमें उम्मीदवार को रेल सुरक्षा बल में आरक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया। प्रकरण पत्रावली दिनांक 02.09.2022 को अग्रिम कार्रवाई करने हेतु जबलपुर मण्डल के कार्मिक विभाग को भेजी गयी। मंडल कार्मिक द्वारा दस्तावेजों में कुछ कमियों को सुधार करने बाबत मामले को वरि. मंसुआ/जबलपुर को भेजी गयी। दस्तावेजों में सुधार करने की कार्रवाई पूर्ण कर मंडल कार्मिक को प्रकरण भेजा गया है। मंडल कार्मिक में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

भोपाल मंडल के माह अप्रैल-2024 के प्रारंभ में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी विवरण :-

क.सं.	अनुकम्पा हेतु आश्रित का संक्षिप्त विवरण	अनुकम्पा नियुक्ति मामले की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट
01	श्री आशीष कुमार यादव पुत्र स्व. जर्नादन यादव, एक्स प्र.आर., मृत्यु दिनांक 08.08.2020 भोपाल मंडल।	स्व. श्री जनार्दन, प्रधान आरक्षक, भोपाल मण्डल के पुत्र श्री आशीष कुमार यादव के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण में उम्मीदवार के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन दिनांक 28.09.2020 में मण्डल स्तर की प्रारंभिक कार्रवाई करते हुये प्रकरण में मुख्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर मण्डल स्तर पर उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.) मण्डल समिति, भोपाल द्वारा दिनांक 26.10.2021 को ली गयी जिसमें उम्मीदवार को रेल सुरक्षा बल में आरक्षक/उपनिरीक्षक के लिये उपयुक्त पाया गया है, वरि. मंडल सुरक्षा आयुक्त, रेल सुरक्षा बल, भोपाल द्वारा लिखित परीक्षा की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु मंडल कार्मिक भोपाल को प्रकरण पत्रावली दिनांक 26.11.2021 को भेज दी गयी। मंडल कार्मिक विभाग में उपनिरीक्षक पद के लिये लिखित परीक्षा की कार्रवाई दिनांक 29.04.2022 को हुयी जिसमें उम्मीदवार के परीक्षा परिणाम में अयोग्य घोषित किये जाने से संतुष्ट न होकर उम्मीदवार द्वारा लिखित परीक्षा के लिए एक मौका दिये जाने का अनुरोध किया गया, कार्मिक विभाग द्वारा द्वितीय मौका देते हुये दिनांक 30.06.2022 को लिखित परीक्षा ली गयी है। द्वितीय अवसर का परीक्षा परिणाम दिनांक 01.08.2022 को जारी किया गया, जिसमें भी उम्मीदवार को पुनः अयोग्य घोषित किया गया है। उम्मीदवार द्वारा उपनिरीक्षक पद की लिखित परीक्षा हेतु 01 अवसर और प्रदान किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे वरि. मंसुआ/कार्यालय द्वारा दिनांक 05.09.2022 को भोपाल मण्डल के कार्मिक विभाग को भेजा गया, मंडल कार्मिक विभाग भोपाल द्वारा जीएम महोदय के अनुमोदन हेतु कार्मिक मुख्यालय को पत्रावली भेजी गयी है। प्र.मु.का.अ. पमरे, जबलपुर द्वारा दिनांक 03.01.2023 को प्रकरण पत्रावली अग्रिम कार्रवाई हेतु मंडल कार्मिक भोपाल को भेज दी गयी। उच्च स्तर की लिखित परीक्षा दिनांक 10.02.2023 को ली गयी जिसमें अनुपयुक्त पाया गया है। मंडल कार्मिक भोपाल द्वारा प्रकरण में प्र.मु.का.अ., पमरे, जबलपुर के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 24.07.2023 को भेजा गया। प्र.मु.का.अ., पमरे का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। आश्रित को लिखित परीक्षा में रैसुब में आरक्षक पद के लिए उपयुक्त पाये जाने पर भोपाल मंडल द्वारा आरक्षक पद का चिकित्सा परीक्षण कराकर एवं पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त कर मुख्यालय को प्रेषित किया गया जिसके आलोक में उम्मीदवार को आरक्षक पद के प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु केन्द्र नामित करने हेतु रेलवे बोर्ड को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 16.02.2024 को पत्राचार किया जा चुका है। रेलवे बोर्ड से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर उम्मीदवार को प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा जायेगा।
02	श्री आकाश मेहरा पुत्र स्व. श्री कमल किशोर मेहरा, निरीक्षक मृत्यु दिनांक:-30.12.2018 12BN/RPSF/THK की प्रकरण पत्रावली महाप्रबंधक कार्मिक, पमरे, जबलपुर के माध्यम से दिनांक 20.04.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुयी है।	स्व. श्री कमल किशोर मेहरा, निरीक्षक 12BN/RPSF/THK के पुत्र श्री आकाश मेहरा का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2019/Sec(ABE)/CGA/2/3 दिनांक 13.03.2023 के आलोक में महाप्रबंधक कार्मिक, पमरे, जबलपुर के पत्र सं. पमरे/का.मुख्या./भर्ती/122/अनु.नियु./आरपीएफ दिनांक 20.04.2023 के तहत मूल पत्रावली इस कार्यालय को प्राप्त हुयी है। उक्त प्रकरण में मुख्यालय अनुमोदन भोपाल मंडल में मंडल स्तर की अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करने मूल पत्रावली दिनांक 26.04.2023 को भेजी दी गयी है। रेल सुरक्षा बल में आरक्षक/उपनिरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.) की कार्रवाई दिनांक 06.10.2023 को पूर्ण की गयी जिसमें उम्मीदवार आरक्षक/उपनिरीक्षक के पद हेतु अयोग्य पाया गया। अग्रिम कार्रवाई हेतु मंडल कार्मिक, भोपाल को प्रकरण भेजा गया। मंडल कार्मिक भोपाल द्वारा उक्त आश्रित का 12 वीं कक्षा की अंक सूची मध्यांचल प्रमुख विद्यालय शिक्षा संस्थान गान्धनगर (मध्य प्रदेश) द्वारा जारी अंक सूची के सम्मान देन दिनांक 20.04.2023 को, उक्त उम्मीदवार के प्रकरण का प्रारंभिक प्रशिक्षण केन्द्र में भेजा जायेगा।

		की जानकारी प्राप्त न होना पर मंडल कार्मिक विभाग द्वारा पूरा दिनांक 29.01.2024 को पत्राचार किया गया। शिक्षण संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि 12 वीं कक्षा की अंकसूची मध्याह्न मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान शाजापुर (मध्य प्रदेश) से जारी की गयी उसकी मान्यता में प्र बोर्ड से नहीं है जिसके आलोक में कार्मिक विभाग भोपाल द्वारा उम्मीदवार को वर्तमान शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बावत दिनांक 19.03.2024 को पत्राचार किया गया। उम्मीदवार का आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई कार्मिक विभाग द्वारा की जायेगी। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
03	श्रीमती अन्जू बनवारी पत्नी स्व. श्री गोविन्द बनवारी, आरक्षक (WC) मृत्यु दिनांक:-05.03.2023 1 st BN/RPSF/Lumding की प्रकरण पत्रावली महाप्रबंधक कार्मिक, पमरे, जबलपुर के माध्यम से दिनांक 17.10.2023 को इस कार्यालय में प्राप्त हुयी है।	स्व. श्री गोविन्द बनवारी, आरक्षक (WC) 1 st BN/RPSF/LMG की पत्नी श्रीमती अन्जू बनवारी (विधवा) का अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण रेलवे बोर्ड के पत्र सं 2023/Sec (ABE)/CGA /2/16 Dated : 10.10.2023 के आलोक में महाप्रबंधक कार्मिक, पमरे, जबलपुर के पत्र सं. पमरे/का मुख्या. /122/भर्ती/अनु.नियु./आरपीएफ दिनांक 17.10.2023 के तहत मूल पत्रावली 58 फेज इस कार्यालय को प्राप्त हुयी है। उक्त प्रकरण में प्र.मु.सु.आ. महोदय के अनुमोदन उपरांत भोपाल मंडल में मंडल स्तर की अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करने मूल पत्रावली दिनांक 20.10.2023 को भेजी गयी। मंडल द्वारा उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.) की कार्रवाई दिनांक 27.12.2023 को पूर्ण की गयी जिसमें उम्मीदवार महिला आरक्षक के पद हेतु अयोग्य पायी गयी। अग्रिम कार्रवाई हेतु मंडल कार्मिक, भोपाल को अग्रिम कार्रवाई करने हेतु दिनांक 03.01.2024 के तहत प्रकरण भेजा गया। मंडल कार्मिक द्वारा शिक्षण संबंधी दस्तावेज सत्यापन एवं जाति प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु कहा गया जिसके आलोक में वरि. मंसुआ/भोपाल द्वारा दिनांक 25.01.2024 को प्रथम वाहनी/रेसुविब/लमडिंग को भेजा गया। रेसुविब/लमडिंग द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर प्रकरण दिनांक 12.02.2024 के तहत प्रेषित पत्रावली भोपाल मंडल को प्राप्त होने पर वरि. मंसुआ/रेसुब/भोपाल द्वारा अग्रिम कार्रवाई करने हेतु दिनांक 15.02.2024 को प्रकरण मंडल कार्मिक भोपाल को भेजी गयी। कार्मिक विभाग, भोपाल द्वारा उक्त मामले में प्रमुख मुख्य कार्मिक, अधिकारी पमरे, जबलपुर का अनुमोदन मागे जाने पर प्र.मु.का.अ. के अनुमोदन उपरांत दिनांक 04.04.2024 को मंडल कार्मिक भोपाल को पत्राचार किया गया। मंडल कार्मिक, भोपाल में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

कोटा मण्डल के माह अप्रैल-2024 के प्रारंभ में लंबित अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी विवरण :-

क्रम संख्या	अनुकम्पा हेतु आश्रित का संक्षिप्त विवरण	अनुकम्पा नियुक्ति मामले की वर्तमान प्रगति रिपोर्ट
01	स्व. श्री विजय कुमार शर्मा, भूपू उपनिरीक्षक गंगापुर सिटी, कोटा मंडल की मृत्यु दिनांक <u>06.10.2021</u> कोटा मंडल।	स्व. श्री विजय कुमार शर्मा, भूपू उपनिरीक्षक, कोटा मंडल के प्रकरण में दिवंगत कर्मचारी की पत्नी द्वारा आवेदन दिनांक <u>03.06.2022</u> को प्रेषित कर स्वयं के स्थान पर अपने पुत्र श्री आकाश शर्मा को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुरोध पर उम्मीदवार के मामले में मण्डल द्वारा कल्याण निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त कर मण्डल स्तर की अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रकरण पत्रावली दिनांक <u>08.07.2022</u> को मुख्यालय अनुमोदनार्थ प्राप्त हुआ। मुख्यालय द्वारा अनुमोदन उपरांत मामले में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रकरण पत्रावली दिनांक <u>13.07.2022</u> के तहत मण्डल का वापस भेजी गयी। मण्डल स्तर पर रेल सुरक्षा बल में आरक्षक/उपनिरीक्षक पद के लिए उम्मीदवार की शारीरिक दक्षता परीक्षा (P.E.T.) की कार्रवाई दिनांक <u>07.10.2022</u> को पूर्ण की गयी जिसमें उम्मीदवार को आरक्षक/उपनिरीक्षक के लिये अयोग्य पाया गया है। अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रकरण पत्रावली मंडल कार्मिक कोटा दिनांक <u>07.10.2022</u> को भेज दी गयी है। मंडल कार्मिक कोटा द्वारा प्र.मु.का.अ., पमरे, जबलपुर के अनुमोदन हेतु दिनांक <u>22.12.2022</u> भेजी गयी। प्र.मु.का.अ. के अनुमोदन उपरांत मामले को मंडल कार्मिक, कोटा को भेजी गयी। कार्मिक विभाग द्वारा उम्मीदवार को चिकित्सा परीक्षण हेतु दिनांक <u>22.05.2023</u> को रेलवे चिकित्सालय कोटा भेजा गया। रेलवे चिकित्सा अधिकारी द्वारा उम्मीदवार को फीजियो थेरेपी के लिए कहा गया जो अभी भी चलने के कारण चिकित्सा परीक्षण की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो पा रही है। मंडल कार्मिक कोटा द्वारा अवगत कराया गया है कि उम्मीदवार श्री आकाश शर्मा अभी स्पीक थेरेपी पर चल रहा है। कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
—	स्व. श्री कृष्ण कुमार, भूपू आरक्षक (कुक), कोटा मंडल की मृत्यु दिनांक <u>18.09.2023</u>	स्व. श्री कृष्ण कुमार, भूपू आरक्षक (कुक), कोटा मंडल के प्रकरण में दिवंगत कर्मचारी की पत्नी द्वारा आवेदन दिनांक <u>06.03.2024</u> को प्रेषित कर स्वयं के स्थान पर अपने पुत्र श्री अजीत सिंह को उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किये जाने के अनुरोध पर मंडल स्तर को कार्रवाई पूर्ण कर मामले को पश्चिम मध्य रेल से उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल को स्थानांतरण करने हेतु प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु पत्रावली मुख्यालय में दिनांक <u>15.03.2024</u> को प्राप्त हुयी जिसमें श्रीमान् के अनुमोदन उपरांत सम्पूर्ण पत्रावली इस कार्यालय के पत्र दिनांक <u>20.03.2024</u> के तहत अग्रिम आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मंडल सुरक्षा आयुक्त, कोटा को पत्राचार किया जा चुका है।